Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में पटवारी 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *26 मई, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये कमलेश कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का किशनगढ़–ए, अतिरिक्त चार्ज रलावता, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म की मौका रिपोर्ट तथा नामान्तकरण रिपोर्ट पी–21 उपलब्ध कराने की एवज में कमलेश कुमार मीणा पटवारी पटवार हल्का किशनगढ़–ए, अतिरिक्त चार्ज रलावता, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी अजमेर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सतनाम सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रभूलाल कुमावत** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये कमलेश कुमार मीणा पुत्र श्री बद्रीनारायण मीणा निवासी ग्राम बाढ़ रसूलपुरा, तहसील आंधी, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का किशनगढ़–ए, अतिरिक्त चार्ज रलावता, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।